श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : अध्यक्ष महोदय, वैज्ञानिक, शिक्षा, न्यायिक, रक्षा से संबंधित प्रतिष्ठानों में आरक्षण के बारे में आदिम जाति और जनजाति के लोगो का जो कमीशन है, उसने भारत सरकार से सिफारिश की थी लेकिन भारत सरकार ने उसे ठुकरा दिया है। इतना ही नहीं, नियम 355 की अवमानना की है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि आदिम जाति और जनजाति के लोगों को इन सेवाओं में शामिल कर दिया जाए।